ऑन लाईन नं. RCMS 2023/29

न्यायालय : न्याय निर्णायक अधिकारी एवं अति0 जिला मजिस्ट्रेट (प्रशासन) श्रीगंगानगर

पीठासीन अधिकारी : डा. हरीतिमा, आर.ए.एस.

न्याय निर्णयन आवेदन सं0 22/2023

श्री लक्ष्मीकान्त गुप्ता, खाद्य सुरक्षा अधिकारी, कार्यलय अभिहित अधिकारी, (खाद्य सुरक्षा) एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, श्रीगंगानगर

बनाम

1. मानमल गर्ग पुत्र श्री बजरंग लाल गर्ग —खाद्यकारोबारकर्ता एवं मालिक— मैसर्स :— विकास किरयाना स्टोर, दुर्गा मन्दिर के पास, सादुलशहर श्रीगंगानगर।

अपराध अन्तर्गत खाद्य सुरक्षा
एवं मानक अधिनियम, 2006 की धारा 26(2)(ii)/52 FSSA Act 2006

:: निर्णय :: दिनांक : 23.06.2023

सक्षेंप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार हैं कि खाद्य सुरक्षा अधिकारी श्री लक्ष्मीकान्त गुप्ता दिनांक 26.10.2020 से कार्यालय अभिहित अधिकारी, (खाद्य सुरक्षा) एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, श्रीगंगानगर का कार्य सम्पादन कर रहे है। राज्य सरकार द्वारा राजपत्र में प्रकाशित गजट नोटिफिकेशन के अनुसार खाद्य सरुक्षा अधिकारी, नियुक्त किया गया है। आयुक्त, खाद्य सुरक्षा एवं निदेशक (जन स्वा.) चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें राजस्थान जयपुर के आदेश दिनांक 26.10.2020 के अनुसार उन्हें कार्य क्षेत्र मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, श्रीगंगानगर आवंटित किया गया है। श्रीगंगानगर कार्यालय के अन्तर्गत आने वाले समस्त स्थानीय क्षेत्र उनके कार्य क्षेत्र में बताये है।

श्री लक्ष्मीकांत गुप्ता, खाद्य सुरक्षा अधिकारी दिनांक 08.01.2022 को दोपहर बाद 02:00 पी.एम. पर फर्म **मैसर्स विकास किरयाना स्टोर, दुर्गा मन्दिर के पास, सादुलशहर श्रीगंगानगर** पर पहुंचा मौके पर विक्रेता **श्री मानमल गर्ग पुत्र श्री बजरंग लाल गर्ग** को अपना परिचय दे दुकान पर रखे **वनस्पति (Madji Safe Premium Quality Vegeteble Oil) के बारे में जानकारी चाही इस पर** विक्रेता ने स्वयं को दुकान का मालिक बताया तथा दुकान पर रखे 500–500 एम.एल. के 40 पैक डिब्बे आमजन के बेचान वास्ते होना बताया। मुझे इसी **वनस्पति (Madji Safe Premium Quality Vegeteble Oil)** में मिलावट का शक होने पर विक्रेता से नमूना जांच वास्ते **वनस्पति (Madji Safe Premium Quality Vegeteble Oil)** का नमूना लेने की इच्छा विक्रेता को फार्म नम्बर 5ए भरकर देते हुए वयक्त की मोके पर ही विक्रेता को फार्म नम्बर 5ए भरकर दिया जिस पर विक्रेता व गवाहन के व मेने हस्ताक्षर किये । फार्म नम्बर 5ए न्याय निर्णय के साथ सलंगन है ।

अति.जिला कलक्टर (प्रशासन) श्रीगंगानगर

खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा संस्थान का निरीक्षण करने पर पाया कि आम जनता को विक्रय हेतु उपलब्ध **वनस्पति (Madji Safe Premium Quality Vegeteble Oil) 500 एम.एल.** के 4 बंद जार पैक को विक्रेता से खरीद कर लिया। विक्रेता का मौके पर ही उक्त क्रयशुदा **वनस्पति (Madji Safe Premium Quality Vegeteble Oil)** का नगद भुगतान 400 रूपये किया तथा कैशमीमों बनवाकर लिया जिस पर विक्रेता एवं गवाहान के हस्ताक्षर है और मेरे भी हस्ताक्षर है। कैशमीमो न्याय निर्णय के साथ सलंगन है ।

खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने मौके पर फार्म नम्बर 5ए की प्रतियां तैयार कर खाद्यकारोबारकर्ता एवं मालिक तथा गवाहन को पढ़कर सुनाकर एवं समझाकर हस्ताक्षर करने को कहा जिसे श्री मानमन गर्ग एवं गवाहन ने भी पढ़कर समझकर व सही मानकर हस्ताक्षर किये। स्वयं आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने भी हस्ताक्षर किये। फार्म नम्बर 5ए की एक प्रति खाद्यकारोबारकर्ता एवं मालिक मानमल गर्ग को देकर असल पर रसीद प्राप्त की। फार्म नम्बर 5ए सलंग्न न्यायनिर्णयन आवेदन है।

खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने खरीदशुदा **वनस्पति (Madji Safe Premium Quality Vegeteble Oil)** के मूल 4 जारो पर लेबल कर प्रत्येक नमुना पर लेबल चिपकाए एवं लेबलों पर डीओ कोड एवं सिरीयल नम्बर **के–1303** दर्ज किया। प्रत्येक लेबल पर स्वयं के हस्ताक्षर किये एवं विक्रेता तथा गवाहन के हस्ताक्षर कराये और जार को अलग–अलग खाकी कागज में लेपेट कर प्रत्येक भाग पर डी.ओ गंगानगर की हस्ताक्षर शुदा पेपर स्लिप **के–1303** नियमानुसार चारो नमूनो पर नीचे से उपर तक गोंद से चिपकाकर प्रत्येक नमूना भाग को पेपर स्लीप उपर धागे से बांधकर नियमानुसार चार–चार जगह ब्रास सील से मोहर चपडी किया। प्रत्येक नमूना भाग पर विक्रेता एवं गवाहन के हस्ताक्षर नियमानुसार इस प्रकार करवाये कि पेपर स्लिप व रेपर दोनो पर हस्ताक्षर करवाये एवं स्वयं ने खाद्व पदार्थ का विवरण **के–1303 वनस्पति (Madji Safe Premium Quality Vegeteble Oil)** लिखकर हस्ताक्षर कियें एवं स्वयं ने हस्ताक्षर किये, चारों नमूना भागों को अपने जाप्ते में लिया। मौका फर्द रिपोर्ट तैयार की, जिसे खाद्य कारोबारकर्त्ता मानमल गर्ग ने पढकर, समझकर हस्ताक्षर किये। खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने फार्म नं 06 की आठ प्रतियां तैयार की और प्रत्येक पर वह नमूना सील लगाई जिसमें नमूना सील मोहर किया। एक नमूना भाग मय फार्म सं. 06 की प्रति के आउटर कवर में सीलबन्द कर सील मोहर किया। अभिहित अधिकारी (खाद्य सुरक्षा) ने नमूने का एक भाग एवं फार्म 6 का एक सील बन्द लिफाफा खाद्य विश्लेषक, बीकानेर को जमा करवाकर रसीद प्राप्त की एवं शेष तीन सील बन्द नमूना भाग मय फार्म 6 का सील बन्द लिफाफा डी.ओ. कम सी.एम.एच.ओ. श्रीगंगानगर को जमा करवाकर रसीद प्राप्त की।

स्टेट सैन्ट्रल पब्लिक हैल्थ लैबोरेटरी, बीकानेर (राजस्थान) द्वारा जारी जांच रिपोर्ट क्रमांकः–एलएस / 56 / एक्ट / 2022 / 56 दिनांक 19.01.2022 को प्राप्त हुई, जिसके अनुसार खाद्य नमूना **के–1303 वनस्पति (Madji Safe Premium Quality Vegeteble Oil) अमानक स्तर** (Misbranded Food) होना पाया गया। इस पर अभिहीत अधिकारी कम मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, श्रीगंगानगर ने प्रकरण में अभियुक्त **मानमल गर्ग पुत्र श्री बजरंग लाल गर्ग मैसर्स :– विकास किरयाना स्टोर, दुर्गा मन्दिर के पास, सादुलशहर श्रीगंगानगर** द्वारा अमानक स्तर **वनस्पति (Madji Safe Premium Quality Vegeteble Oil)** का

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रशासन) श्रीगंगानगर (राज.)

अति. जिला कलक्टर (प्रशासन) श्रीगंगानगर

विक्रय किये जाने को खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 की धारा 26 की उप धारा 2(ii) के अन्तर्गत न्याय निर्णयन आवेदन दिनांक 13.02.2023 को प्रस्तुत किया गया।

परिवाद पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया गया। अभियुक्त को तलब किया गया। अभियुक्त को परिवाद की प्रति उपलब्ध कराई गई।

अभियुक्त ने अपने जवाब में कथन किया है कि प्रार्थी तहसील सादुलशहर जिला श्रीगंगानगर का रहने वाला है। प्रार्थी मैसर्स विकास किरयाना स्टोर, दुर्गा मन्दिर के पास, सादुलशहर जिला श्रीगंगानगर का मालिक है और प्रार्थी को आपके विभाग द्वारा एक नोटिस आपके पत्र क्रमांक 287/2023 दिनांक 16.02.2023 को दिया है कि आपकी दुकान में **वनस्पति (Madji Safe Premium Quality Vegeteble Oil)** की जांच की गई तो वनस्पति **(Madji Safe Premium Quality Vegeteble Oil)** Misbranded Food पाया गया है। प्रार्थी ने उक्त **वनस्पति (Madji Safe Premium Quality Vegeteble Oil)** में सुधार कर लिया है। भविष्य में प्रार्थी ऐसी गलती दौबारा नहीं करेगा। प्रार्थी के साथ नरमी का रूख अपनाते हुए प्रार्थी के वाद का आज ही निस्तारण किया जावें। लिहाजा प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन है कि प्रार्थी लोक अदालत की भावना से प्रेरित होकर अपना जुर्म स्वीकार करता है। प्रार्थी के साथ नरमी का रूख अपनाते हुये प्रार्थी के वाद का आज ही निस्तारण किया जावें। आपकी अति कृपा होगी।

परिवाद पर दोनों पक्षों को सुना गया।

राज पैरोकार ने अपनी बहस में बताया कि अभियुक्त से लिया गया खोवा का सैम्पल **के–1303** जांच रिपोर्ट क्रमांकः–एलएस/56/एक्ट/2022/56 दिनांक 19.01.2022 द्वारा Misbranded Food होना पाया गया है। अतः अभियुक्त के खिलाफ खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 26 की उप धारा (ii) का उल्लधन किया है जिसका जुर्माना खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 52 में निर्धारित है। जिसमें अधिकतम 5,00,000 रूपये की शास्ति का प्रावधान है।

अभियुक्त की ओर से प्रस्तुत जवाब में वर्णित तथ्यों को ही बहस में दोहराते हुए कहा है कि प्रार्थी तहसील सादुलशहर जिला श्रीगंगानगर का रहने वाला है। प्रार्थी मैसर्स विकास किरयाना स्टोर, दुर्गा मन्दिर के पास, सादुलशहर जिला श्रीगंगानगर का मालिक है और प्रार्थी को आपके विभाग द्वारा एक नोटिस आपके पत्र क्रमांक 287/2023 दिनांक 16.02.2023 को दिया है कि आपकी दुकान में **वनस्पति (Madji Safe Premium Quality Vegeteble Oil)** की जांच की गई तो **वनस्पति (Madji Safe Premium Quality Vegeteble Oil)** Misbranded Food पाया गया है। प्रार्थी ने उक्त **वनस्पति (Madji Safe Premium Quality Vegeteble Oil)** में सुधार कर लिया है। भविष्य में प्रार्थी ऐसी गलती दौबारा नहीं करेगा। प्रार्थी के साथ नरमी का रूख अपनाते हुए प्रार्थी के वाद का आज ही निस्तारण किया जावें। लिहाजा प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन है कि प्रार्थी लोक अदालत की भावना से प्रेरित होकर अपना जुर्म स्वीकार करता है। प्रार्थी के साथ नरमी का रूख अपनाते हुये प्रार्थी के वाद का आज ही निस्तारण किया जावें। आपकी अति कृपा होगी।

अति. जिला कलक्टर (प्रशासन)
श्रीगंगानगर

बहस पर मनन किया गया । पत्रावली का अवलोकन किया गया।

इस प्रकार अभियुक्त से लिया गया **वनस्पति (Madji Safe Premium Quality Vegeteble Oil)** Sample of " **वनस्पति (Madji Safe Premium Quality Vegeteble Oil)**" bearing Code No. and Sr. No. K-1303 of Designated Officer cum The Chief Medical & Health Officer, Sriganganagar is Misbranded Food under section 3(1)(zf)(c)(i) of Food Safety and Standards Act- 2006 Note-The sample is not fully marketable as it sold after the date of Best Before. जॉच रिपोर्ट पर अविश्वास करने का कोई कारण नहीं है।

फलस्वरूप अभियुक्त श्री **मानमल गर्ग पुत्र श्री बजरंग लाल गर्ग**— फर्म **विकास किरयाना स्टोर, दुर्गा मन्दिर के पास, सादुलशहर श्रीगंगानगर** को एफएसएस एक्ट 2006 एवं नियम 2011 की धारा 26 की उप धारा (ii) के अन्तर्गत घटित अपराध का दोषी पाया जाता है। फलतः अभियुक्त श्री **मानमल गर्ग पुत्र श्री बजरंग लाल गर्ग** को खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 52 के अन्तर्गत राशि रूपये 15,000—00 (अखरे रूपये पन्द्रह हजार मात्र) के आर्थिक दण्ड से दण्डित किया जाता है।

अभियुक्त को यह निर्देश दिये जाते है कि भविष्य में **वनस्पति (Madji Safe Premium Quality Vegeteble Oil)** बनाने के लिए उच्च गुणवत्ता के घटकों का इस्तेमाल करें, ताकि ऐसे खाद्य पदार्थों से उपभोक्ताओं के स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव न पड़े। इन आदेशों की पालना सख्ती से की जावे। निर्णय की प्रति मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी को भेजी जावे।

निर्णय आज दिनांक 23.06.2023 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(डा. हरीतिमा)
न्याय निर्णायक अधिकारी एवं
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट (प्रशा0)
श्रीगंगानगर

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रशासन) श्रीगंगानगर (राज.)

अति. जिला कलक्टर (प्रशासन) श्रीगंगानगर